राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प0 3(102)नविवि/3/05 जयपुर, दिनांक :- 15/6/06

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर।

विषय :- नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर क्षेत्र मे निजी कॉलोनाईजर्स द्वारा विकसित कॉलोनियों पर बाह्य शुल्क लिए जाने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक सीजी/पीए/06/64 दिनांक 14.03.2006

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10(1)नविवि/3/2002 दिनांक 01.01.2002 के संबंध में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में देय बाह्य विकास शुल्क की गणना किस प्रकार की जाये, इस बाबत मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त अधिसूचना के भाग-बी के बिन्दु संख्या- 9 में बाह्य विकास कार्य के संबंध में यह प्रावधान किया गया है " बाह्य विकास कार्य यथा लिंक रोड, सीवरेज आदि के संबंध में संबंधित संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में स्थिति के अनुरूप अपने स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा। यह राशि 50 रूपये प्रतिवर्ग मीटर से कम नहीं होगी। इस संबध मे जो राशि तय की जावेगी उसे निजी विकासकर्ता द्वारा सैल्फ फाईनेन्सींग के आधार पर ब्याज रहित तिमाही किस्तों में दो वर्ष में जमा करवाना होगा। किस्तों का निर्धारण संबंधित संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि प्रत्येक तिमाही में निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो 6 माह से एक वर्ष तक अवधि बढाई जा सकती है। मगर उक्त विलम्ब के लिए शेष राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा।"

उपरोक्त प्रावधान से विदित है कि बाह्य विकास शुल्क योजना विशेष के बाहरी क्षेत्र को एवं उनकी सुविधाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित होगा। अत यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रावधान में बाह्य विकास कार्य के लिए संबंधित संस्था द्वारा प्रकरण विशेष की स्थिति के अनुरूप अपने स्तर पर निर्णय लिया जावे, किन्तु यह राशि 50 रूपये प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगी। यह राशि विकासकर्ता की योजना के सम्पूर्ण भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार गणना की जाकर वसूल की जायेगी अनुमोदित भूखण्डों के क्षेत्रफल पर नहीं।

भवदीय,

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।

उप विधि परामर्शी